(9)

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
10/2022	25.01.2022	18.04.2022

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति पुष्पा हरवानी (आर.ए.एस.)

उनवान

1– सावित्री बाई उर्फ साबु बाइ पुत्री रघुनाथ पत्नी बिहारीलाल जाति माली निवासी कोटड़ादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादनी)

बनाम

1– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वाद पत्र अनतर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में मामला यह है कि वादिनी के शामलाती खाते तें खाता संख्या 29 की खसरा नम्बर 306/395 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 307 रकबा 1.51 है0, ख0नं0 312 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 313 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 319 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 320 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 321 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 323 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 325 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 328 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 331 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 332 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 338 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 341 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 342 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 343 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 344/394 रकबा 0.02 है0, कुल 17 किता की 3.13 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जिसमें वादनी का नाम साबू दर्ज है जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 संलग्न है।

यह कि वादनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम साबू के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जबकि वादनी का वास्तविक नाम सावित्री बाई है तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादनी का नाम सावित्री बाई है। जिससे वादनी को सरकार योजनाअें में किसान केडिट कार्ड आदी लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादनी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, पेन कार्ड , बैंक डायरी, अंकतालिका आदि में वादनी का नाम सावित्री बाई है। वादनी का नाम ग्राल रलायता की जमाबन्दी में साबू होने से सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिए किसान केडिट कार्ड लेने से वन्चित हो रही है। वादनी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकारी है। इसलिए वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना

आवश्यक है। इस संबंध में प्रतिवादी से दिनांक 15.01.2022 को निवेदन करने पर उन्होने मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीया के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि:–

1– कि ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते तें खाता संख्या 29 की खसरा नम्बर 306/395 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 307 रकबा 1.51 है0, ख0नं0 312 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 313 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 319 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 320 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 321 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 323 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 325 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 328 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 331 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 332 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 338 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 341 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 342 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 343 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 344/394 रकबा 0.02 है0, कुल 17 किता की 3.13 है0 भूमि में वादनी का नाम साबू दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादनी का नाम साबू के स्थान पर सावित्री बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादनी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये हैः–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम रलायता सम्वत 2076–2079
2– ग्राम पंचायत कोटडादीपसिंह प्रमाण पत्र
3– ग्राम पंचायत मियाडा का प्रमाण पत्र
4– आयकर कार्ड की छाया प्रति
5– बैंक पास बुक्स की छाया प्रति
6– आधार कार्ड की छाया प्रति
7– जन आधार कार्ड की छाया प्रति

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई । प्रतिवादी की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया। जिसमें वादनी का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है। प्रकरण में जवाब सहमति परक होने से तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होने पर प्रकरण साक्ष्य ली गयी। साक्ष्य में सहखातेदार जो वादनी का भाई है का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्ररकण को बहस पर नियत किया गया। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड वादनी के अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट हे कि ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते तें खाता संख्या 29 की खसरा नम्बर 306/395 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 307 रकबा 1.51 है0, ख0नं0 312 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 313 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 319 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 320 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 321 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 323 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 325 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 328 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 331 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 332 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 338 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 341 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 342 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 343 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 344/394 रकबा 0.02 है0, कुल 17 किता की 3.13 है0 भूमि में वादनी का नाम साबू दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादनी का नाम साबू के स्थान पर सावित्री बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
दीगोद जिला कोटा (राज.)

(11)

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादनी का नाम विवादित आराजी में साबू के स्थान पर सावित्री बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की घोषण की जाती है। मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को राजस्व लोक अदालत केम्प खैरूला में मजमे आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

ने मिलान किया

कोटी प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

दिनांक 133/23-5-22

23-5-22

दिनांक -

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– सावित्री बाई उर्फ साबु बाइ पुत्री रघुनाथ पत्नी बिहारीलाल जाति माली निवासी कोटड़ादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादनी)

बनाम

1– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वाद पत्र अनतर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट
मिसल नं 10/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि – वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते तें खाता संख्या 29 की खसरा नम्बर 306/395 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 307 रकबा 1.51 है0, ख0नं0 312 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 313 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 319 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 320 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 321 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 323 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 325 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 328 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 331 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 332 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 338 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 341 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 342 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 343 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 344/394 रकबा 0.02 है0, कुल 17 किता की 3.13 है0 भूमि में वादनी का नाम साबू दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादनी का नाम साबू के स्थान पर सावित्री बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की घोषणा की जाती है। मुताबिक निर्णय–डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 18.04.2022 को जारी किया गया।

से मिलान किया
पूर्ण
प्रति प्रमाणित
जिला कोटा (राज.)

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा	रूपये	पैसे
मुदई		0
स्टाम्प वकालतनामा	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0
महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0
मिलान	0	

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0
मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
दीगोद